कोटा संभाग, कोटा

24.5.24 पत्रावली कोर्ट कार्ड पर पेश हुई। अति. अधी. 22/23
व रेल्वे. की ओर से प्रेसीकार्ट करकारे उपस्थित, अति. अधी.
ने कहा कि स्टाफ पेश की जो आरोपावली की गयी
प्रकरण के कुछ अन्य पक्षकार छुटी गयी है।
कहा. प्रेसीकार्ट करकारे ने अपीलार्थी आदेश व्याधिक
निर्णय न होकर प्रशासनिक आदेश होने के कारण योग्य
नहीं होकर पुनरीक्षण किये जाने योग्य होने के आधार पर
के विरुद्ध अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।
अति. अधी. से प्रकरण व्यापार के बंद होने के स्वीकार
न करने हेतु की। पक्षकार व्यापार से पेश करने हेतु अपील
अधीन लौटाई जाने का अनुरोध किया। पत्रावली का
आद्योपांत अवलोकन कर कुछ अन्य पक्षकारों पर
नवत किया। अधीनस्थ अधि. आदेश दि. 5.3 दिनांक 20.7.22
जिला कलक्टर बूंदी ने एक प्रशासनिक आदेश है। प्रशासनिक
आदेश पुनरीक्षण योग्य है। प्रशासनिक आदेश अपील
योग्य नहीं होने के कारण प्रकरण का यथावत् पर विचार करने बिना
करने हेतु अपीलार्थी को लौटाने की
आदेशिका का प्रमाणित प्रति सहित मूल अपील लौटाई
जावे। आदेशिका व अपील मिसल की छाया प्रति
सुरक्षित रखी जाकर पत्रावली दाद तामील एवं निर्णय
सुनाए होने पर नियम अनुसार है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

13वां आदेश

मूल अपील पार्टी को वापिस